न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2750/2005/भरतपुर

टूटल पुत्र मोहनलाल जाति गूर्जर निवासी सुहारी तहसील बैर जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूसावर
2– जिला कलेक्टर भरतपुर।
3– सरपंच ग्राम पंचायत सहारी पंचायत समिति बैर

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वी0पी0सिंह, राजकीय अभिभाषक

दिनांक 02.7.2018

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–5–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी वैर में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 463 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, 461 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 9 बीधा 6 बिस्वा पर वादी संवत् 20012 से अपने पूर्वजों के समय से काबिजकाश्त चला आ रहा है। अतः उसे विवादित आराजी का खातेदार

काश्तकार घोषित करते हुये प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के कब्जेकाश्त की भूमि में दखलदांजी न करें। जिसे उपखंड अधिकारी वैर ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 18–9–04 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 28–5–2005 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

3– विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी पर संवत् 2012 से पूर्व से ही हमारा कब्जाकाश्त है। पहले मेरे पिताजी मोहनलाल उससे पहले बाबा भोंदू काश्त करते थे। परीक्षण न्यायालय द्वारा कायम दो तनकी वादी ने प्रस्तुत रिकोर्डो से साबित कर दी थी किंतु परीक्षण न्यायालय ने मनमाने तरीके से वाद खारिज कर दिया। वादी ने साक्ष्यों में तहसीलदार का निर्णय दिनांक 13–1–93, निर्णय जिला कलेक्टर दिनांक 16–11–92, गिरदावरी संवत् 2017 से 2020, संवत् 2025 से 2032, 2028 से 2044, संवत् 2049 से 2052 प्रस्तुत किये है। अन्य लोगों को इस भूमि में से पट्टे दिये गये है। विवादित आराजी चारागाह होने से ग्राम पंचायत पक्षकार नहीं है। उक्त भूमि पर काबिजकाश्त चले आने के कारण अपीलांट कब्जा मुखलफाना के आधार पर उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये। उक्त तथ्य अपीलांट द्वारा साक्ष्य से साबित कर दिये गये थे किंतु परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये नियमो से परे अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

5– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि विवादित आराजी चारागाह है जिस पर धारा 16

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होते। परीक्षण न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावे के आधार पर वाद विवाधक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद विवाधक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष अंकित करते हुये अपीलार्थी का वाद खारिज है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी बहाल रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— विद्धान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ संलग्न रिकोर्ड आदि का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपीलांट की अपील इस आधार पर खारिज की है कि तहसीलदार ने दिनांक 16—10—1992 को विवादित आराजी से अपीलार्थी को बेदखल व 50 गुना पेनेल्टी के आदेश दिये है तथा अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुये उसे दण्डित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा संवत् 2021 से 2024, संवत् 2033 से 2038, संवत् 2045 से 2048 के वर्षो में विवादित आराजी पर काश्त करने का रिकोर्ड प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा 30 वर्षो से लगातार होना नहीं माना है। विवादित आराजी राजस्व रिकोर्ड में गैर मुमकिन चारागाह है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 से बाधित होने के कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी का वाद खारिज किया है। चारागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 अनुसार प्रतिबंधित भूमि है जिस पर किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार के हक व अधिकार अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते। वादी अपीलार्थी द्वारा अपना वाद साक्ष्य, दस्तावेजात व गवाहों के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल होने की स्थिति में ही खारिज किया गया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों को ही पुष्ट किया गया है। दोनों ही

अधीनस्थ न्यायालयों के समान निष्कर्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है। इस प्रकार तथ्यात्मक बिन्दुओं पर दोनों ही न्यायालयो के समवर्ती निष्कर्ष हैं और यह निष्कर्ष परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विस्तृत विवेचना पर आधारित हैं।

8 उपरोक्त विवेचना के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–9–04 और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–5–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील निराधार एवं सारहीन है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष